प्राक्कथन

मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए यह लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

राजस्व प्राप्तियों - संघ सरकार के अप्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है।

इस प्रतिवेदन में सेवा कर की प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत किए गए हैं।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित अभ्युक्तियों में, 2012-13 के दौरान की गई नमूना जाँच तथा पूर्व वर्षों में ध्यान में आए परन्तु पूर्व प्रतिवेदनों में सम्मिलित न किए गए निष्कर्ष शामिल हैं।